भारत में भ्रष्टाचार के विविध आयामों का मूल्यांकन

डॉ0 उमारतन यादव,

एसोसिएट प्रोफेसर–अर्थशास्त्र विभाग,
बुन्देलखण्ड महाविद्यालय,झाँसी,उ.प्र.

शोध सारांश

आज भारत में विभिन्न प्रकार का भ्रष्टाचार मुँह फैलाये खड़ा है। भारत में भ्रष्टाचार कोई नयी बात नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ब्रिटिश काल में भी भारत में भ्रष्टाचार व्याप्त था। भ्रष्टाचार जीवन के हर क्षेत्र में अमरबेल की भाँति बढ़ता जा रहा है। इससे सामाजिक, वैयक्तिक, नैतिक तथा बौद्धिक मूल्यों का विघटन हो रहा है। राष्ट्र में आज संकीर्णता, क्षुद्रता, स्वार्थपरता, भ्रष्टाचार आदि का बोलबाला है। जीवन के हर क्षेत्र में मिलावट है। पग–पग पर बेईमानी और धोखाधड़ी हो रही है। राष्ट्र का नेतृत्व दिग्भ्रमित हो गया है। भारत आदर्श शून्यता और मर्यादाहीनता के युग में जी रहा है। भारत में भ्रष्टाचार का इतिहास बहुत पुराना है। भारत को भ्रष्ट बनाने में अंग्रेजों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अंग्रेजों ने भारत में स्वतन्त्रता से पहले अपने लिए सुविधाएँ जुटाने के वास्ते भारत के सम्पन्न लोगों को विशेषकर राजे–रजवाड़े और साहूकारों को धन देते थे और मनचाही सुविधाएँ प्राप्त करते थे। अंग्रेज भारत के लोगों को धन देकर अपने ही देश के साथ छल करने के लिए कहते थे और ये लोग ऐसा ही करते थे। भ्रष्टाचार का प्रारम्भ यहीं से हुआ और तब से आज तक पुष्पित और फलित हो रहा है। राबर्ट क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स तो इस कदर भ्रष्ट पाये गये कि उनके इंग्लैण्ड लौटने पर उन पर मुकदमा भी चलाया गया। स्वतंत्रता के पश्चात् भी भ्रष्टाचार का उन्मूलन नहीं हो पाया और मूल्यों के प्रति हमारे बदलते दृष्टिकोण के फलस्वरूप समाज के लिए भ्रष्टाचार एक कलंक बन गया ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान में तो भ्रष्टाचार को सामान्य जीवन का अंग मान लिया गया है।

बीज शब्द–*भ्रष्टाचार,सामाजिक,वैयक्तिक,नैतिक,बौद्धिक मूल्य विघटन, राष्ट्र, क्षुद्रता, स्वार्थपरता।*

भारत पुण्यभूमि का देश रहा है। भारतीय प्राचीन ग्रन्थों में भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी के किसी प्रचलित रूप का उल्लेख नहीं मिलता है।

श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियवात्मनः ।

एतच्चतु विधं प्रोक्तं साक्षात्धर्मस्य लक्षणम् ।।

अर्थात् आचार ही सर्वोपरि धर्म है, यहाँ सदाचार से आशय है। आचार या आचरण लोकहितकारी होना चाहिए। इसी सदाचार को भारतीय ऋषियों ने धर्म का लक्ष्य माना है :– मनुस्मृति

यह सर्वविदित है कि–'जब अर्थ बोलता है तब सत्य चुप हो जाता है।' यह उक्ति आधुनिक संदर्भ में भ्रष्टाचार के लिए सटीक टिप्पणी है। जब यही आचरण (आचार) दूषित या कलुषित हो जाता है, तो इसे भ्रष्टाचार की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। लोभजनित अर्थलोलुपता ही इसकी जननी है। व्यापक अर्थ में एक सार्वजनिक कार्यालय अथवा व्यक्तिगत संस्था में मानवीय मूल्यों एवं शासकीय नियमों का उल्लंघन करते हुए मात्र वैयक्तिक लाभ हेतु अवैध कार्य करना ही भ्रष्टाचार कहा जाता है।

भ्रष्ट्राचार किसी एक क्षेत्र में नहीं बल्कि मानव के हर कार्य में देखने को मिल सकता है। चाहे किसी सरकारी कर्मचारी का अपने कार्य को कर्तव्यपूर्ण न निभाना या फिर किसी उचित कार्य के लिए भी अतिरिक्त लाभ का चाहना हो अथवा विद्वान, ईमानदार, उद्यमी, योग्य, और अनुभवी की उपेक्षा करके उसके स्थान पर चरित्रहीन, निकम्में और अयोग्य व्यक्ति के सम्बन्धी या सिफारिश के कारण महत्वपूर्ण पद प्रदान कर देना हो। यह सभी कार्य भ्रष्ट्रचार की श्रेणी में आते हैं। वर्तमान समय में कार्यालयों में समय से कार्यों का न निपटाना, अवकाश स्वीकृत कराए बिना अनुपस्थिति रहना, बैठकर गप्पे लगाना आदि सभी भ्रष्टाचार की परिधि में आते हैं।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लगभग चालीस प्रकार के भ्रष्टाचारों का विवरण मिलता है और उनके लिए विभिन्न दण्डों का प्रावधन भी दिया गया है। इस बात के अनेक प्रमाण मिलते हैं जिसमें घूसख़ोरी का श्रीगणेश मुग़लकाल में 'उपहार संस्कृति' के रूप में हुआ और ब्रिटिशकाल में इसे काफ़ी प्रोत्साहन मिला। विगत दो–तीन दशकों के सर्वेक्षण इस बात के साक्षी हैं कि भारत में राजनीतिक भ्रष्टाचार का प्राधन्य है और लगभग पूरा देश व्यापक भ्रष्टाचार में लिप्त है। प्रत्येक घर, कार्यालय, संगठन, उपक्रम, श्रेणी, राज्य तथा केन्द्र तक इसकी सत्ता अपराजेय है। अब तो यह भी कहा जा सकता है कि भारत में प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति बिकाऊ है, यदि कोई उचित खरीददार हो। यूँ तो आज़ादी के साथ ही 'भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1947 लाया गया, लेकिन कई कारणों से यह असफल रहा। इस अधिनियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी–अधिकारी द्वारा निम्न प्रकार के कार्य भ्रष्टाचार की श्रेणी में आते हैं–धन का ग़लत उपयोग करना ,ज्ञात संपत्ति स्रोतों से अधिक धन जमा करना ,आर्थिक लाभ हेतु सरकारी पद का दुरुपयोग करना ,स्वेच्छापूर्वक घूस लेना और किसी बहुमूल्य वस्तु को बिना मूल्य प्राप्त कर लेना।

'भ्रष्टाचार निरोधक समिति, 1964' गृह मंत्रालय द्वारा गठित रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि सार्वजनिक जीवन में किसी भी पद या स्थिति अधिकारों या प्रभाव का अनुचित अथवा स्वार्थी तरीके से उपयोग करना भी भ्रष्टाचार में सम्मिलित है। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि भारत का वर्तमान वीभत्स परिदृश्य अब तक के बने नियमों, अधिनियमों आदि के उल्लंघन का ही परिणाम है। हमारी संस्कृति एवं सरोकारों ने तुलसीकृत 'रामचरितमानस' के मूल्यबोधक कांडों से कोई प्रेरणा न लेकर हवाला कांड, हर्षद मेहता कांड, पेट्रोल पंप एवं रसोई गैस कांड, लक्खूभाई पाठक धोखाधड़ी कांड, बिहार चारा कांड, दिल्ली में मकान एवं दूकान वितरण कांड, जयललिता के विविध कांड आदि न जाने कितने भ्रष्टमानस कांडों की रचना कर डाली। कांडों का महाकाव्य अभी जारी है। यह भी सच है कि लालच ही भ्रष्टाचार का जनक है। माया–मोह प्रवृत्ति के वशीभूत होकर व्यक्ति अर्थ एवं काम के दलदल में फँसता चला जा रहा है। भ्रष्टाचार यों तो समाज की सभी संस्थागत इकाईयों–सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक में फैल चुका है। किन्तु इसका विशेष स्परूप प्रशासनिक, राजनैतिक एवं आर्थिक संस्थागत क्षेत्रों में दिखाई देता है।

राजनीतिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार हमें कई रूपों में देखने को मिलता है स्वार्थी राजनेताओं ने आरक्षण, मंदिर–मसजिदों, अगड़ी–पिछड़ी जातियाँ, हिंदू–मुसलमान , संप्रदायवाद, भाषावाद, अलगाववाद, क्षेत्रवाद आदि के नारे बुलंद करके स्वयं को रहनुमा बताकर आम जनता की भावनाओं का भरपूर शोषण किया है, सभी दलों ने शकुनि और दुर्योधन की तरह अपनी कुटिल चालें चली हैं। सत्ता प्राप्ति के लिये दल–बदल भी राजनीतिक भ्रष्टाचार है। सांसदों एवं विधायकों की नकद खरीद फरोख्त होती है। पं0 द्वारका प्रसार मिश्र, आचार्य सुचेता कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, डॉ0 राममनोहर लोहिया, आचार्य विनोवा

भावे जैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य भी अपने शिष्यों के टकराने और उन्हें गलत कार्य से रोकने का साहस नहीं कर पाए। आज सर्वमान्य राष्ट्रीय नेतृत्व का सर्वथा अभाव है भ्रष्ट आचरण, निहित स्वार्थ और ओछी मानसिकता ने आज नेताओं को जाति और संप्रदाय विशेष तक ही सीमित कर दिया है। आज न्यायिक क्षेत्र भी भ्रष्टाचार की गिरप्त में आ रहे हैं। पंचायतों एवं नगरपालिकाओं में भी जो कि स्वायत्त शासन की संस्थाएँ हैं इनमें भी भ्रष्टाचार पाया जाता है। आज सरकारी सेवा, में भ्रष्टाचार प्रशासन का एक अंग बन गया है। सरकार के कुछ विभाग जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग, आयकर बिक्रीकर भूमि रजिस्ट्रेशन आदि के विषय में सामान्य जनता की आम धारणाा है कि वहाँ पैसे देकर सब कुछ कराया जा सकता है।

भ्रष्टाचार के विविध रूप

भ्रष्टाचार का महादानव अपने व्यापक स्वरूप में अनेक रूपों में दृष्टि गोचर हो रहा है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने भ्रष्टाचार के निम्न सत्ताइस रूपों की गणना की है :–

1. निम्न स्तरीय वस्तुओं या कार्य को स्वीकार करना ।
2. सार्वजनिक धन या भण्डार का दुरूपयोग करना ।
3. अधिकारियों के आर्थिक दायित्वों को स्वयं वहन कर अनुचित लाभ लेना ।
4. ऐसे ठेकेदारों या फर्मों से कर्ज लेना, जिनसे उनके कार्यालय स्तरीय संबंध होते हैं।
5. ठेकेदारों या फर्मो को रियायतें देना ।
6. झूठे दौरे, भत्ते या गृह किराया आदि का दावा करना ।
7. अपनी आमदनी से अधिक वस्तुओं को रखना ।
8. बिना पूर्व सूचना या पूर्व अनुमति के अचल सम्पत्ति को अर्जित करना ।
9. प्रभाव या अन्य कारणों से शासन को क्षति पहुॅचाना ।
10. शासकीय पद या सत्ता का दुरूपयोग करना ।
11. भर्ती, नियुक्ति, स्थानान्तरण या पदोन्नति के एवज में गैर कानूनी रूप से धन लेना ।
12. शासकीय कर्मचारियों का व्यक्तिगत कार्यो में प्रयोग करना ।
13. जन्मतिथि या समुदाय संबंधी जाली प्रमाण पत्र तैयार करना या करवाना ।
14. रेल या वायुयान में स्थान सुरक्षित कराने में अनियमितता ।
15. मनीऑर्डर, बीमा या मूल्य देय पार्सलों को न देना ।
16. नये डाक टिकटों का हटाकर पुराने डाक टिकटों को लगाना ।
17. आयात निर्यात लाइसेंस देने में असहयोग एवं अनियमितता ।
18. लोक सेवकों की जानकारी व सहयोग से विभिन्न फर्मो द्वारा आयातित एवं निर्धारित कोटे का दुरूपयोग ।
19. टेलोफोन कनेक्शन देने में अनियमितता ।
20. अनैतिक आचरण ।
21. उपहार ग्रहण करना ।

22. आर्थिक लाभ के लिए आयकर, सम्पतिकर आदि का कम मूल्यांकन प्रस्तुत करना ।
23. स्कूटर एवं कार खरीदने हेतु स्वीकृत अग्रिम धन राशियों का दुरूपयोग करना ।
24. विस्थापितों के दावों का गलत मूल्यांकन करना ।
25. विस्थापितों के दावों के निपटान में अनुचित विलम्ब करना ।
26. आवासीय भूमि के हिस्सों के क्रय एवं विक्रय के संबंध में धोखा देना ।
27. सरकारी आवासों का अनाधिकृत कब्जा और उन्हे अनाधिकृत रूप से किराये पर उठाना ।

यह सब उपर्युक्त भ्रष्टाचार के प्रकार सतर्कता आयोग द्वारा डाले गए छापों में पाए गये हैं, भाव उन्हीं का उल्लेख यहाँ किया गया है। इनके अतिरिक्त अन्य रूप भी दृष्टिगत होते हैं यथा :–शासकीय चिकित्सक द्वारा चिकित्सालय समय में घर पर फीस लेकर रोगी को देखना । झूठे चिकित्सा देयकों तथा बीमा राशि का भुगतान प्राप्त करना। शिक्षकों द्वारा विद्यालय/महाविद्यालयों में अध्यापन न करके घर पर ट्यूशन करना, प्रश्न पत्र बताना एवं अंक बढ़ाना। सरकारी वाहन, भवन, व टेलीफोनों को निजी प्रयोग में लाना ।

उपरिलिखित बिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य रूप भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आ सकते हैं, इनसे यह स्पष्ट होता है कि आज भ्रष्टाचार कितना व्यापक स्वरूप ले चुका है, जीवन का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, जहाँ भ्रष्टाचार न होता हो, लोक सेवकों द्वारा शासकीय नियमों को अतिक्रमण कर तोड़ने के नित नये उपाय खोजकर भ्रष्टाचार के विविध मार्ग बना लिए गए हैं। आशय यह है कि भ्रष्टाचार अब शिष्टाचार बनकर जन–जन में व्याप्त होता जा रहा है।

यदि हम अतीत पर दृष्टि डालें तो भ्रष्टाचार का यह अंकुर स्वतंत्रता के समय में ही फूट चुके थे। यह कटु यथार्थ है कि भ्रष्टाचारी सामन्तों ने राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान अपने वर्गीय स्वार्थों के प्रति सजगता रखी और आजादी के बाद प्रतिष्ठानों के नियामक बने। आजादी के बाद से अब तक भ्रष्टाचारियों ने भारत में नये आयाम गढ़े हैं। हॉलाकि जनता अब राजनीतिक चालों को समझ चुकी है उसे बहला पाना अब आसान नहीं है। सत्ता पर लगातार दबाब बढ़ता जा रहा है। प्रशासन के साथ ही साथ सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता की मांग जोर पकड़ती जा रही है। सबसे ज्यादा उम्मीद न्यायपालिका से है। अतः न्यायपालिका को चाहिए की भ्रष्टाचार के मामलों पर सुनवाई करने के लिए अलग–अलग अदालतें बनाये तथा शीघ्रता से सुनवाई करके दंड सुनिश्चित करें। ताकि दोषियों में भय व्याप्त हो सके तथा लोकतंत्र पर जनता का विश्वास पुनः कायम हो सके। इस प्रकार सतत् सतर्कता ही स्वाधीनता एवं सुशासन की गारण्टी है।

भ्रष्टाचार के निवारण के लिए न्यायपालिका में त्वरित न्याय की व्यवस्था तथा कठोर दण्ड का प्रावधान होना चाहिए। लम्बे समय के निकलने के बाद तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर पेश किया जा सकता है। इसके साथ ही समाज के सजग, जागरूक और सक्रिय लोगों द्वारा चलाये अभियानों से आम आदमी को जुड़ना होगा, क्योंकि अब समय आ गया है कि भारत पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार के विरूद्ध सक्रिय हो, लोग आजादी के आन्दोलन में सक्रिय हुए थे। यह भी एक तरह से आजादी के ही आन्दोलन जैसे हैं, जिसमें किसी विदेशी से आजादी नहीं चाहिए, बल्कि भ्रष्टाचार रूपी दानव में मानवता को निजात दिलानी है। भ्रष्टाचार एक सामाजिक बुराई है और किसी भी बुराई का कोई हल नहीं हो ऐसा

नहीं है, उसका अच्छाई से खात्मा किया जा सकता है, जो लोगों को अपने सदाचार में देकर सिद्ध करना होगा। अतः मध्यम वर्गों में ऐसी नई चेतना की आवश्यकता है जिसे वे स्वयं ही निर्मित कर सकते हैं जो समाज को एक नई दिशा देगी और एक सदाचारी एवं व्यवस्थित तथा मानवाधिकारों से युक्त समाज बना सकें, तभी भारत की प्रशासनिक कार्यप्रणाली पूर्णतः चुस्त–दुरूस्त, जबावदेही और पारदर्शी बन सकेगी। ऐसे आदर्श समाज में मर्यादाओं की पुनःस्थापना होगी तथा हर व्यक्ति को योग्यता अनुसार अपना भाग समाज के साधनों से प्राप्त हो सकेगा।

संदर्भ सूची

1. प्रजातंत्र में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन –डॉ0 उमेश सिंह,म.प्र. हिन्दी –ग्रंथ अकादमी, भोपाल–2010
2. साहित्य अमृत',संपादक, डॉ0 लक्ष्मी मल्ल सिंघवी, जनवरी 2006, वर्ष 11
3. इंडिया टुडे, जनवरी 2011
4. आउट लुक, दिसम्बर 2010
5. ज्ञान वार्षिकी 2012
6. दैनिक जागरण आगरा संस्करण 2 जून 2011
7. दैनिक जागरण आगरा संस्करण 3 जून 2011
8. मूलप्रश्न –सं. वेददान सुधीर – जून अगस्त – 2002
9. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इण्डिया एवं सेन्टर फोर मीडिया स्टडीज–सर्वे रिपोर्ट–2009
10. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988
11. मनुस्मृति